Note: Details of items of data obtained by insurer under each batch shall be maintained as an annexure, with serial numbers

J. HARI NARAYAN, Chairman [ADVT. III/4/161/10/Exty.]

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जुलाई, 2010

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वैधता-अवधि समाप्ति सम्बन्ध बीमा पालसी आचरण) विनियम, 2010

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा. विनियम/2/52/2010.— प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 की 4)की धारा 42 तथा 114 ए को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 तथा 26 के साथ पठन करते हुए और इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थातुः-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (i) इन विनियमों को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (वैधता-अवधि समाप्ति संबद्ध बीमा पालसी आचरण) विनियम, विनियम, 2010 के नाम से पुकारा जायेगा।
 - (ii) ये अधिकारिक राज पत्र के प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत होंगें तथा उन सब उत्पादों पर लागु होगें जिन्हे प्राधिकरण संबद्ध जीवन बीमा उत्पाद के रूप में अब से पारित करेगी।

परिभाषा :

2(1) संदर्भ अधवा आवश्यकता हो,-

i "अधिनियम" से अभिप्राय बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) है।

ii "प्राधिकरण" से अभिप्राय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, जिसका गठन धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999) का 41) द्वारा हुआ है।

iii "**प्रिमियम देने की तिथि**" अधिनियम की धारा 64 वी बी (2) के अनुसार बीमाकर्त्ता को भुगतान प्राप्त होने की तिथि

- iv "पालसी की वैयता-अवधि समाप्ति होने की तिथि" इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, वह तिथि जब बीमाकर्त्ता बीमाधारक अथवा पालसीधारक से पालासी की वैधता-अवधि समाप्ति होने की सूचना प्राप्त करता है। अथवा विनियमन 5 के सह विनियमन के अन्तर्गत क्रैधता-अवधि समाप्ति के लिए नोटिस अवधि का जो प्रावधान किया गया है जो भी पहले हो।
- ए. 'कृपा अवधि'' से अभिप्राय बीमाकर्त्ता द्वारा बिना किसी ब्याज अथवा अर्थदंड के प्रिमियम देय तिथि का निर्धारण जिस अवधि में पालसी को बना किसी अवरोध के पालासी की शर्तों के अनुसार लागु माना जाऐगा
- vi. ''**वैधता-अवधि समाप्त''** से अभिप्राय उस स्थिति से है जब संविदा प्रिमियम का भुगतान नहीं किया जाता जोकि कृपा अवधि समाप्ति तक नहीं किया जाता अथवा बीमकधारक से पालासी की वैधता-अवधि समाप्ति की सूचना प्राप्त करें जिसका प्रावधान विनियम 5 सहविनियम

(1) में किया गया है।

बशर्ते कि किसी पालासी को वैधता-अवधि समाप्त नहीं कहा जायेगा यदि यदि कृपा अवधि में प्रिमियम का भुगतान पालसीधारक अथवा बीमाधारक अथवा दोनों की मौत के कारण न किया गया हो अथवा अन्य ऐसी कोई आकस्मिकता जिसे पालसी द्वारा आवरण प्रदान किया गया हो।

- vii "**वैधता-अवधि समाप्ति निधि"** से अभिप्राय बीमाकत्तों की पृथक्कृत निधि से है जो एक तरफ रखी है तथा इसका निर्माण उन वैधता-अवधि समाप्ति: निधि मुल्य से किया गया है जिनका निर्धारण इस विनियमन के अन्तर्गत होता है।
- viii '**बंधक अवदि''** से अभिप्राय पालसी अवधि प्रारभ होने के क्रमागत पाँच वर्ष से है, इस अवधि में वैधता-अवधि समाप्ति से प्राप्त प्राप्तियों को बीमाकर्त्ता द्वारा पालसीधारक अथवा बीमाधारक को जैसा भी मामला हो का भुगतान नहीं किया जा सकता केवल मौत अथवा अन्य कोई आकस्मिकता जिसे पालसी द्वारा आवरण प्रदान किया गया हो।
- ix "पालसी का पुनः प्रवर्तन" से अभिप्राय बीमा कर्त्ता द्वारा पालासी का पुनः प्रचलन करना जो प्रिमियम का भुगतान न होने के कारण कालित हो गई थी सभी लाभो के साथ, राइडर लाभों के साथ, अथवा अन्यथा यदि कोई हो, जिसका पालसी दस्तावेज में विवरण हो। सभी प्रिमियम तथा अन्य शूल्क प्राप्त करने के बाद जोकि पालसी की शर्तो तथा हालात के अनुसार हो। पालसीधारक द्वारा प्रदान की गई सूचना, दस्तावेज को आधार बनाते हुए बीमाकर्त्ता पालसीधारक की बीमा योग्यता की सत्ता को बनाए रखते के लिए संतुष्ट हो।
- x. "पृथक्कृत निधि" से अभिप्राय उस निधि से है जिसका वर्णन आईआरडीए (बीमाकर्त्ता की सम्पति,देयता,तथा शोधन क्षमता)अनुसूची II-ए विनियम 2000 में किया गया है।
- xi ''**वैद्यता-अवधि समाप्ति प्रभार''** से अभिप्राय वह प्रभार है जो विनियमन में बतायी गई सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता जिसका प्रकटिकरण बार्षिक स्तर प्रिमियम अथवा नििधि मूल्य में प्रतिशत के रूप में किया गया है। जिसे गैर-एकल प्रिमियम पालसी में वैधता-अवधि समाप्ति के लिए लगाया जा सकता है।
 - (2) प्रयोग किये गये अभिव्यक्ति तथा शब्दों को इस विनियमन में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन उन्हें अधिनियम अथवा बीमा विनियामक
 - (3) विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 42) में परिभाषित किया गया है। इनका अर्थ क्रमश वही होगा जो इन्हें उन अधिनियमों अथवा चियम तथा विनियमों में जैसी स्थिति हो में निर्दिष्ट किया गया है।

कृषा अवधि

3. प्रत्येक प्रकार की संबद्ध बीमा पालसियों में कुपा अवधि प्रिमियम के भुगतान के लिए निम्नलिखित होगी :-

i. जब प्रिमियम मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है तो 15 दिन।

ii. अन्य सभी मामलों में 30 दिन।

वैधता-अवधि समाप्ति के लिए पालासी धारक के लिए विकल्प

4. पालासी धारक वैधता-अवधि समापति पर निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को इस्तेमाल करने के लिए योग्य हे।

(i) पालासी का पुनःप्रचलन अथवा

(ii) बिना किसी जोखिम आवरण के पालसी में से सम्पूर्ण रूप से धन की निकासी

पालसी के पुनःप्रचलन के लिए बीमाकर्त्ता के दायित्व

3

٤

2

5. जहाँ पालसी की वैधता–अवधि समापि हुई हो, बीमाकत्तां निम्न लिखित कदम उठायेगा जिससे पालसीधारक को यह सामर्थ प्रादान कि जा सके कि वह विनियमन 4 में उपलब्ध विकल्पों का लाभ उठा सके।

(i) कृपा अवधि के 15 दिनों के भीतर नोटिस भेजे, यह कहते हुए कि ऐसे पालसीधारक नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस विकल्प का प्रयोग करे।

बशर्ते जहाँ पालसी धारक जहाँ निर्धारित 30 दिनों के मीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करता यहा मान लिया जायेगा की उसने विकल्प का प्रयोग , विनियम 4 के सह विनियम (ii) के अनुसार किया है।

व्याख्या : पालसी का निधि मूल्य जब तक पृथक्कृत निधि का भाग रहेगा जब तक पालसीधारक स्त्री/पुरूष संबन्धित विकल्प का प्रयोग नहीं करता अथवा नोटिस देने के 30 दिनों की अवधि के समाप्त होने पर जो भी पहले आये। इस अवधि में पालसी जोखिम आवरण के लिए पालसी की सेवा शर्तो के अनुसार लागु मानी जायेगी।

(ii) जब पालसी धारक यह विकल्प चुनता है कि पालसी का पुनःप्रचलन किया जाए तथा जोखिम आवरण के साथ पृथक्कृत निधि में निवेश में से पालसी की सेवा शर्तों के अनुसार लागु खर्चे धटाये जायेगें। जो जारी रहेगें।

पालासी के सम्पूर्ण आहरण पर बीमाकर्त्ता का दायित्व

6. (1) जब पालसी धारक विनियमन 4 की सह धारा (ii) के अनुसार विकल्प का चुनाव करता है अथवा विनियमन की सह धारा (i) के अनुसार राशि प्रावधान की शतों का प्रयोग नही करता, पालसी का निधि मूल्य पृथक्कृत निधि में जमा हो जायेगा। वैधता-अवधि सेमापित की भुगतान की धन-वापसी बंधक अवधि के पुरा होने के बाद ही किया जायेगा। निधि मूल्य पर अर्जित की गई राशि को भी संविभाजित रूप से वैधता-अवधि समापित पालसी में बाटें दिया जायेगा तथा यह अंश धारको के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

(2) बीमाकत्तां चैक अथवा डिमांड ड्राफट के रूप में धन-वापसी बीमाधारक अथवा उसके नामांकित व्यक्ति को उसके अंतिम ज्ञात पते पर अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यम के द्वारा भुगतान करेगें। वैसे बीमाकत्तां वैधता-अवधि समाप्ति खर्च उस तिथि से जब पालसी की वैधता-अवधि समाप्त हुई है घटा सकते है। यह खर्च विनियमन 7 के उप विनियमन (V) में बताये गये खर्च से ज्यादा नहीं होने चाहिये।

बशर्ते पेंशन तथा वार्षिकी संबद्ध उत्पादों के मामले में बीमाकर्ता को प्राप्तियों के एक तिहाई से ज्यादा वैधता-अवधि समाप्ति पालसियों को वापस नहीं कर सकता । बाकी की राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत वार्षिकी को क्रय करने के लिए किया जा सकता है।

व्याख्या :-

(i) "वैधता-अवधि समाप्ति की प्राप्तियाँ " अभिप्राय

आज पालसी की वैधता-अवधि समाप्ति की स्थिति में पालसी का निधि मूल्य एंव ब्याज की दर न्यूनत्तम 3.5 प्रतिवर्ष का परिकलन करते हुए सम्मिलित है।

(3) जहाँ बीमाकत्तां अथवा उसके नामित का पता न लगाया जा सके, इन प्राप्तियों को एक तरफ रख दिया जायेगा तथा इसे अलग से वार्षिक रिपोर्ट में आयु अनुसार भागो में दिखाया जायेगा। बीमाकर्ता ऐसी आय को पुनेलेखन अथवा संविभाजन अंश धारक की आय अथवा अन्य पालसी धारक के लिए नहीं करेंगें। अलग रखी गई प्राप्तियों को इस प्रकार से बर्ताव किया जायेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनिर्दिशट किया जायेगा

वैधता-अवधि समाप्ति पालसियों के प्रति बीमाकर्ता का दायित्व

7. बीमाकर्ता का दायित्व इस मामले में निम्नलिखित होगे

i. वैधता-अवधि समाप्ति खर्च केवल उन खर्चों के लिए पुनःप्राप्त किये जायेगें जोकि उपार्जन, पालसी का प्रशासनिक तथा आकस्मिक खर्च के रूप में किये गये हो ।

ii वैधता-अवधि समाप्ति खर्च को इस प्रकार बनाया जाएं पालासी धारक संविदा को पूर्ण अवधि के लिए जारी रखने के लिए प्रेरित करें। iii यह सुनिशचित करे की वैधता-अवधि खर्च वास्तविक खर्चा लगें।

iv वैधता-अवधि समाप्ति खर्च को इस प्रकार बनाना की वह कमीशन तथा खर्च की वैधानिक सीमा के अंदर ही हो

v यह सूनिशचित करें कि वैधता-अवधि समाप्ति खर्च के दिन से (वार्षिक प्रिमियम के प्रतिशत के रूप में) नीचे दी गई सीमा से अधिक न हो:-

[भाग III---खण्ड 4]

जब पालसी की पालासी वर्ष के दौरान वैधता-अवधि समाप्त हुई हो	अधिकत्तम वैधता-अवधि समाप्ति खर्च जिनका वार्षिक प्रिमियम रूपये 25,000/- तक हो	अधिकत्तम वैधता-अवधि समाप्ति खर्च जिनका वार्षिक प्रिमियम रूपये 25,000/- से अधिक हो
1	20% तक * (एपी अथवा एफवी) तात्पर्य से अधिकत्तम रुपया 3000	6% तक * (एपी अथवा एफवी) तात्पर्य से अधिकत्तम रुपया 6000/-
2	15% तक * (एपी अथवा एफवी) तात्पर्य से अधिकत्तम रुपया 2000	4% तक * (एपी अथवा एफवी) तात्पर्य से अधिकत्तम रुपया 5000/-
3	10% तक * (एपी अथवा एफवी) तात्पर्य से अधिकत्तम रुपया 1500	3% तक * (एपी अथवा एफवी) तात्पर्य से अधिकत्तम रुपया.4000/-
4	5% तक * (एपी अथवा एफवी) तात्पर्य से अधिकत्तम रुपया.1000	2% तक * (एपी अथवा एफवी) तात्पर्य से अधिकत्तम रुपया2000/-
5 तथा आगे	शून्य	शूल्य

एपी - वार्षिक प्रिमियम

एफवी वैधता-अवधि समाप्ति के दिन फंड का मूल्य

बशतें जहाँ एक पालसी वैधता-अवधि समाप्ति हो केवल वैधता-अवधि समाप्ति खर्च को बीमाकत्तां को उगाहना होगा तथा अन्य कोई खर्च किसी भी नाम से उगाहे नही जायेगें।

बशते की वैधता-अवधि समाप्ति खर्च एकल प्रिमियम पालसी तथा स्तर बढने के लिए नहीं लगाये जायेगे।

वैधता-अवधि समाप्ति से संबधित प्रकटीकरण

8 (1) वैधता-अवधि समाप्ति पालिसियों से दृष्टिगोधर प्राप्त वाली निधि को तुलन पत्र में अलग निम्न लिखित प्रकार से दिखाया जाना चाहिये

वैधता-अवधि समाप्ति के लिए निधि

(i) प्रिमियम न देने की अवस्था में वैधता-अवधि समाप्ति

(ii) अन्य

(2) पालसीधारक को वापस की गई धनराशि तथा "वैधता-अवधि समाप्ति पालसी निधि" में बित्तिय वर्ष में स्थानांतरित राशि को अलग मदों में दिखाया जाना चाहिये।

(3) लेखों की टिप्पणी में निम्न लिखित प्रकटिकरण किये जाने चाहिये।

(i) वित्त वर्ष के दौरान वैधता-अवधि समाप्ति पालसियों की संख्या

(ii) वैधता-अवधि समाप्ति की प्रतिशत (उत्पाद के अनुसार) वर्ष में कुल बेची गई पालसियों के अनुसार

(iii) वर्ष के दौरान पुनः प्राप्ति पालसियों प्राप्ति का प्रतिशत तथा संख्या

(iv) वैधता-अवधि समाप्ति पालसियों के कारण खर्च/प्रभार लगाये गये

9. प्रत्येक बीमा कर्त्ता एक लेखा कथन अर्धवार्षिक आधार पर भेजेगा, पंद्रह दिनों के भीतर, उन पालसियों के लिए जो पालसी लागु हैं जिसमें वैधता-अवधि समापित पालसी शामिल है, जहाँ प्राप्तियों को अभी पालसी धारक को अथवा इसके द्वारा नामित व्यक्ति को दिला जाना है, जैसा

- भी मामला हो उसके अंतिम विदित पते पर जिसमें निम्न लिखित शामिल होना चाहिये।
- (i) पालसी धारक द्वारा दिया गया कुल प्रिमियम
- (ii) प्रिमियम की अगली देय तिथि
- (iii) निवेश चुनाव का तरीका
- (iv) पालासी की स्थिति
- (v) कुल निधि मुल्य
- (vi) कुल यूनिट
- (vii) प्रभार वसूली का विवरण

चूक करने की स्थिति में कार्यवाई

- 10 (i) प्रधिकरण किसी भी समय एक लिखित आदेश के द्वारा, प्राधिकरण के किसी अधिकारी को किसी बीमाकर्त्ता के वैधता अवधि समाप्ति प्रभार सभी वैधता अवधि समाप्ति पालसीयों से व्यवहार तथा प्राप्तियाँ से संबधित मामलों की जाँच करने एवं उचितता की रिपोट जमा करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
- (ii) रिर्पोट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकरण बीमाकर्ता को एक अवसर प्रदान करते हुए रिर्पोर्ट के निष्कर्ष पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा अथवा बीमाकर्ता को निर्देश देगा कि वैधता-अवधि समाप्ति प्रभार, को कम करे तथा अतिरिक्त प्रभार जो पालसी धारक पर लगाया गया है उसे वापस करे।
- (iii) बिना प्रतिकृत रूप से प्रभावित होते बीमाकर्ताओं के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही कर सकता है जोकि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उचित समझा जाए, बीमा विकास तथा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1999 तथा उसके अर्न्तगत बनाये गये विनियमों के अनुसार उचित हो।

प्रधिकरण की सपष्टिकरण जारी करने की शक्तियाँ

 विनियमनों के किसी भी अनुप्रयोग अथवा व्याख्या से संबंधित कठिनाइयों के निवारण के लिए प्राधिकरण उचित संपष्टिकरण अथवा मार्गनिदेश जब कभी भी आवश्यक हो जारी कर सकता है।

> जे. हरि नारायण, अध्यक्ष [विज्ञापन III/4/161/10/असा.]

NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st July, 2010

Insurance Regulatory and Development Authority (Treatment of Discontinued Linked **Insurance Policies) Regulations, 2010**

F. No. IRDA/Reg/2/52/2010.- In exercise of the powers conferred by clause (zd) of subsection 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development 1. Authority (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations, 2010

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall apply to all products of linked life insurance cleared by the Authority thereafter.

Definitions:

2. (1) Unless the context otherwise requires,-

- "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938). i.
- "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority established ii. under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)
- "Date of payment of premium" shall in terms of the provisions of Section 64 VB (2) iii. of the Act mean the date on which payment is received by the insurer.
- "Date of discontinuance of the policy" shall for the purpose of these regulations, be iv. the date on which the insurer receives the intimation from the insured or policyholder about discontinuance of the policy or on the expiry of the notice period provided for in the sub-regulation (1) of regulation 5 of these regulations, whichever is earlier.
- "Grace Period" means the time granted by the insurer from the due date for the v. payment of premium without levy of any interest or penalty during which time the policy is considered to be in-force with the risk cover without any interruption as per the terms of the policy.
- "Discontinuance": means the state of a policy that could arise on account of nonvi. payment of the contracted premium due before the expiry of the notice period provided for in sub regulation (1) of 5 of these regulatioins.

2584 4210-4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Provided that no policy shall be treated as discontinued if, within the grace period, the premium has not been paid due to the death of the policyholder or the insured or both or upon the happening of any other contingency covered under the policy.

- vii. "Discontinued Policy Fund" means the segregated fund of the insurer that is set aside and is constituted by the fund value of all discontinued policies determined in accordance with these regulations.
- viii. "Lock-in-period" means the period of five consecutive years from the date of commencement of the policy, during which period the proceeds of the discontinued policies cannot be paid by the insurer to the policyholder or to the insured, as the case may be, except in the case of death or upon the happening of any other contingency covered under the policy.
- ix. "Revival of a policy" means restoration of the policy by the insurer, which was discontinued due to the non-payment of premium, with all benefits, with or without rider benefits if any, mentioned in the policy document, upon the receipt of all the premiums due and other charges if any, as per the terms and conditions of the policy, upon being satisfied as to the continued insurability of the policyholder on the basis of the information, documents and reports furnished by the policyholder.
- x. "Segregated fund" means the funds as referred to in Schedule II-A of the IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of the Insurers) Regulations, 2000.
- xi. "Discontinuance charge" means a charge that does not exceed the limits specified in these regulations, expressed as a percentage of one annualized level premium or fund value that can be levied upon discontinuance of a non-single premium policy.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (42 of 1999) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules and regulations made there under, as the case may be.

Grace Period

3. The grace period for payment of the premium for all types of linked insurance policies shall be as follows:-

- i. Fifteen days, where the policyholder pays the premium on a monthly basis;
- ii. Thirty days, in all other cases.

Options of a policyholder upon discontinuance of the policy

4. A policyholder shall be entitled to exercise one of the following options upon the discontinuance of the policy:

- (i) Revival of the policy, or
- (ii) Complete withdrawal from the policy without any risk cover.

Obligations of the insurer for revival of the policy

5. Where a policy is discontinued, the insurer shall take the following steps to enable the policyholder to exercise the option as available in terms of regulation 4:

Send a notice within a period of fifteen days from the date of expiry of grace period to (i) such a policyholder to exercise the said options within a period of thirty days of receipt of such notice.

Provided that where the policyholder does not exercise the option within the stipulated period of thirty days, the policyholder shall be deemed to have exercised the option mentioned at sub-regulation (ii) of regulation 4.

Explanation: The fund value of the policy shall be part of the segregated fund chosen till the policyholder exercises his/her option or till the expiry of thirty days of notice period which ever is earlier. During this period the policy is deemed to be inforce with risk cover as per terms and conditions of the policy.

Where the policyholder exercises the option to revive the policy, the risk cover along (ii) with investments made in the segregated funds, less applicable charges as per the terms and conditions of the policy, shall be continued.

Obligations of the insurer upon complete withdrawal of the policy

6. (1) Where the policyholder exercises the options available at sub-regulation (ii) of Regulation 4 or does not exercise the option available in terms of the proviso to sub-regulation (i) of regulation 5, the fund value of the policy shall be credited to the discontinued policy fund. The proceeds of the discontinued policy shall be refunded only upon completion of the lock in period. The income earned on the fund value shall also be apportioned to the discontinued policy fund and shall not be made available to the shareholders.

(2) The insurer shall refund the amount by means of a cheque or demand draft, to be delivered to the insured or the nominee, at his last known address or by any other electronic mode of payment. However, the insurer may deduct discontinuance charges on the date of discontinuance on such policies, which shall, not exceed the charges stated in subregulation (v) of regulation 7 of these regulations.

Provided that in case of pension and annuity linked products, the insurer shall not refund more than one-third of the proceeds of the discontinued policy while the remaining amount shall be used to purchase an annuity subject to the provisions of Section 4 of the Act.

Explanation:

- "Proceeds of the discontinued policies" means (i)
- The fund value as on the date the policy has discontinued, after addition of interest computed at the minimum interest rate of 3.50% p.a.
- (3) Where the insured or his nominee cannot be traced, the said proceeds shall be set aside and shown separately in the annual report of the insurer with its age wise break-up. The insurer shall not write back or apportion the said proceeds to the income of the shareholders or to that of any other policyholder. The proceeds so set aside shall be dealt with in such manner as may be specified by the Authority from time to time.

Obligations of an insurer upon discontinuance of a policy

7. The obligations of the insurer in this regard shall be as follows :-

i. To impose discontinuance charges only to recoup expenses incurred towards procurement, administration of the policy and incidental thereto.

27

ç

- ii. To design the discontinuance charges to encourage the policyholder to continue with the contract for the full term;
- iii. To ensure that the discontinuance charges reflect the actual expenses incurred
- iv. To structure the discontinuance charges within the statutory ceilings on commissions and expenses and
- v. To ensure that the charges levied on the date of discontinuance (as a percentage of one annualized premium) do not exceed the limits specified below:-

Where the policy is discontinued during the policy year	Maximum discontinuance charges for the policies having annualized premium up to Rs.25,000/-	Maximum discontinuance charges for the policies having annualized premium above Rs.25,000/-
1	Lower of 20% * (AP or FV) subject to a maximum of Rs. 3000	Lower of 6% * (AP or FV) subject to maximum of Rs. 6000/-
2	Lower of 15% * (AP or FV)subject to a maximum of Rs. 2000	Lower of 4% * (AP or FV) subject to maximum of RS. 5000/-
3	Lower of 10% * (AP or FV) subject to a maximum of Rs.1500	Lower of 3% * (AP or FV) subject to maximum of Rs.4000/-
4	Lower of 5% * (AP or FV) subject to a maximum of Rs.1000	Lower of 2% * (AP or FV) subject to maximum of Rs.2000/-
5 and onwards	NIL	ŇIL

AP - Annualised premium

FV - Fund value on the date of discontinuance

Provided that where a policy is discontinued, only discontinuance charge may be levied by the insurer, and no other charges by whatsoever name called shall be levied.

Provided that no discontinuance charges shall be imposed on single premium policies and on top ups.

Disclosures relating to discontinued policies

8. (1) The funds arising from discontinuance policies shall be shown under a separate head in the Balance Sheet in the following manner:

Funds for discontinued policies

- (i) Discontinued on account of non-payment of premium;
- (ii) Others
- (2) The amount refunded to the policyholders and amount transferred to the "Funds for discontinued policies" during the financial year shall be shown under a separate head.
- (3) The following disclosures shall be made in the notes of the accounts
 - (i) Number of policies discontinued during the financial year;

- Percentage of discontinued to total policies (product wise) during the year;
- Percentage of discontinued to total policies (product they can be allowed by an allowed
- (iv) Charges imposed on account of discontinued policies.

9. Every insurer shall send a statement of account, on a half yearly basis, within fifteen days, in respect of every policy in force including discontinued policies where the proceeds are yet to be paid to the policyholder or her nominee as the case may be, his last known address, which shall contain the following details :-

- (i) The total premium paid by the policyholder
 - (ii) Next due date of the premium
 - (iii) Pattern of the investment chosen
 - (iv) Pattern of investment
 - (v) Status of the policy
 - (vi) Total fund value
 - (vii) Total units
 - (viii) Detail of charges recovered.

Action in case of default

10. (i) The Authority may, at any time, by an order in writing, direct any officer of the Authority to inspect the affairs of any insurer and submit a report on the reasonableness or otherwise of discontinuance charges, treatment of all discontinued policies and the treatment of the proceeds thereof.

(ii) Upon receipt of the report, the Authority shall, after giving an opportunity to the insurer to make a representation in connection with the findings in the report on the, direct the insurer to reduce the discontinuance charges and refund the excess charges so imposed, to the policyholder

(iii) Without prejudice to the above, the Authority may also initiate such action against the said insurer, as deemed appropriate, under the provisions of the Act, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the relevant regulations framed thereunder.

Power of the Authority to issue clarifications

11. In order to remove any difficulties in respect of the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines, as and when required.

J. HARI NARAYAN, Chairman [ADVT. III/4/161/10/Exty.]